न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03 / 2021

अपीलार्थी

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नि श्री रामगोपालजी बिडला जाति माहेश्वरी निवासी मुंदडा मोहल्ला बडे मंदिर के पास, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा।
2. श्री सुरेशचन्द्र पुत्र श्री रामगोपालजी बिडला जाति माहेश्वरी निवासी मुंदडा मोहल्ला बडे मंदिर के पास, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती इन्द्रा आगाल पुत्री श्री रामगोपालजी बिडला पत्नि श्री अशोक कुमार आगाल जाति माहेश्वरी निवासी मुंदडा मोहल्ला बडे मंदिर के पास, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा।
4. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामगोपालजी बिडला जाति माहेश्वरी निवासी मुंदडा मोहल्ला बडे मंदिर के पास, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाडा।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती सानिया धर्मपत्नि श्री मुशीर कुरैशी जाति मुसलमान निवासी गोदरेज क्लेनेट टॉवर–3, 102, सात रास्ता महालक्ष्मी मुम्बाई।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से।
3. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 17.10.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 17.07.2020 के विरूद्ध दिनांक 23.02.2021 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट [illegible] के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने जरिए वकालतनामा [illegible] संख्या दो व तीन की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। [illegible]नार्थी के लायक अधि[illegible] राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा बनास पटवार

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हल्का आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 61 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 1.08 बीघा, खसरा संख्या 70 रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 1.10 बीघा एवं खसरा संख्या 229/58 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 06.07 बीघा भूमि आई हुई थी। यह है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि अपीलांट संख्या एक के पति व अपीलांट संख्या 02 से चार के पिता श्री रामगोपाल पुत्र श्री बिहारीलाल जाति माहेश्वरी के नाम से आई हुई है। यह है कि श्री रामगोपाल पुत्र श्री बिहारीमल के अपीलार्थीगणों के अलावा कोई वारिसदार या कायम मुकाम नहीं है एवं श्री रामगोपाल का देहान्त दिनांक 26.05.2016 को हुआ था। यह है कि श्री रामगोपाल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आगार प्रबन्धक के पद पर कार्यरत थे, जिनका पदस्थापन आबूरोड सिरोही में रहा एवं वे जयपुर से दिनांक 31.05.2001 को सेवानिवृत्त हुए थे, जिनको पेन्शनर में उनके विवाहिता पत्नि अपीलांट संख्या एक श्रीमती कमलादेवी का नाम दर्ज है तथा आज भी उनकी पेन्शन कमलादेवी को पत्नि की हैसियत से प्राप्त हो रही है। यह है कि स्व. श्री रामगोपाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.01.2019 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उक्त विवादग्रस्त भूमि का नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात दिनांक 13.06.2019 व 16.10.2019 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तहसीलदार पिण्डवाडा व पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जो तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा मूल ही वास्ते जांच तहसीलदार भू.अ. माण्डल को प्रेषित किया, जिस पर पटवारी हल्का माण्डल द्वारा स्व. श्री रामगोपाल के वारिसान के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट तहसीलदार पिण्डवाडा को प्रेषित की। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 276 स्वीकृत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि जयपुर में निवासरत डॉक्टर फिरोजा बानो व उसकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या एक सानिया आदतन बदमाश व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है एवं इनके द्वारा करोडों रूपए का गबन कर रखा है। उक्त डॉक्टर फिरोजाबानो ने अपने आपको स्व. श्री रामगोपाल की विवाहिता पत्नि बताते हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक को रामगोपाल की पुत्री बताते हुए एक कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 01.01.204 को तैयार करवाया, जिसके आधार पर उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी भी प्रकार की जांच किए स्वीकृत किया गया, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि स्व. श्री रामगोपाल हिन्दु थे एवं हिन्दु रीति–रिवाज से अपीलांट संख्या एक श्रीमती कमलादेवी से विवाह कर रखा है, जिससे कभी भी कोई तलाक नहीं हुआ है। अतः कमलादेवी के जीवित रहते उन्हें दूसरी शादी करने का कानूनन हक व अधिकार नहीं है एवं न ही स्व. श्री रामगोपाल ने कभी भी दूसरी शादी की थी। इसके उपरान्त भी डॉक्टर फिरोजा बानो ने अपने आपको स्व. श्री रामगोपाल की पत्नि होना बताया है एवं इसी को आधार बताकर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का वसीयत [illegible] करवाया, जो कानूनन शून्य व खारिज काबिल है। अतः उक्त वसीयतनामा के आधार पर [illegible] की गई सम्पूर्ण कार्यवाही कानूनन शून्य है। ऐसे में नामान्[illegible] को कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। यह है कि दिनांक [illegible]8.01.2021 को वादग्रस्त आराजी के पडौसी जयन्तीलाल पटेल ने बनास ने अपीलांट को फोन से सूचना दी कि कुछ अज्ञात लोग जेसीबी लेकर आए है एवं बबूल सफाई कर रहे है, जिस पर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

31.01.2021 अपीलांट श्री मुकेश कुमार व उनका भतीजा मौके पर आए एवं इस सम्बन्ध में जानकारी की तब अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तकरण के बारे में जानकारी हुई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 17.07.2020 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि स्व. श्री रामगोपाल जी सन् 1980 से पूर्व से ही प्रार्थीगण से सम्बन्ध विच्छेद कर जयपुर में निवासरत थे एवं सन् 1980 में ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक की माता श्रीमती फिरोजा बानो से विवाह किया एवं तब से ही लगातार दोनों पति–पत्नि के रूप में जयपुर निवासरत थे एवं दोनों का जयपुर में राशन कार्ड बना हुआ है। यह है कि श्रीमती फिरोजा बानो के राजकीय सेवा में रहने के दौरान बनी मेडीकल डायरी में पति का नाम श्री रामगोपाल बिरला अंकित है एवं श्रीमती फिरोजा बानों के पासपोर्ट एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में पति का नाम रामगोपाल बिरला अंकित है। यह है कि उक्त दोनों के नुत्फे से रेस्पोडेन्ट संख्या एक का जन्म हुआ, जो दोनों की धर्मज संतान है। यह है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति को श्री रामगोपाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री कंल्याण पिता श्री जयनारायण से दिनांक 27.07.1994 को क्रय की गई थी एवं दिनांक 01.01.2014 को स्व. श्री रामगोपाल द्वारा उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति अपनी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या एक को जरिए रजिस्टर्ड वसीयत प्रदत्त की गई एवं उक्त वसीयत को उपपंजीयक जयपुर पंचम के यहां रजिस्टर्ड करवाया गया था, जिसे स्व. श्री रामगोपाल द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित कर पंजीकृत करवाई गई थी, जो पूर्णत वैध होकर प्रभावी है एवं उक्त वसीयत के किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य या बातिल घोषित नहीं किया गया है। एवं उक्त वसीयत के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो वैध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत सिविल अपील संख्या 1233/2006 निर्णय दिनांक 12.02.2008 भंवरसिंह बनाम पूरण व अन्य, आर.एस.ए नं. 6175/2014 निर्णय दिनांक 04.03.2016 कमलेशदेवी बनाम मंगतराम व अन्य एवं एस.बी.सी. द्वितीय अपील सं. 29/1956 निर्णय दिनांक 22.07.1960 जादव बनाम रामस्वरूप प्रस्तुत किए।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:44 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा बनास पटवार हल्का आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 61 रकबा 0.07 बीघा,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 62 रकबा 1.08 बीघा, खसरा संख्या 70 रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 1.10 बीघा एवं खसरा संख्या 229/58 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 06.07 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2020 दिनांक 10.07.2020 एवं उपपंजीयक जयपुर पंचम के रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.01.2014 के आधार पर दिनांक 10.07.2020 को उक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत किया, जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.07.2020 को की गई जांच उपरान्त तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 17.07.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम से स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि श्री रामगोपाल की दिनांक 26.05.2016 को मृत्यु हो चुकी थी एवं स्व. श्री रामगोपाल हिन्दु थे एवं हिन्दु रीति–रिवाज से अपीलांट संख्या एक श्रीमती कमलादेवी से विवाह कर रखा था, जिससे कभी भी कोई तलाक नहीं हुआ है। अतः कमलादेवी के जीवित रहते उन्हें दूसरी शादी करने का कानूनन हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मानने योग्य प्रतीत होता है। यह है कि स्व. श्री रामगोपाल द्वारा अपीलार्थी संख्या एक को तलाक दिए जाने के सम्बन्ध में एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक की माता श्रीमती फिरोजा बानों से विवाह करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि स्व. श्री रामगोपाल दिनांक 31.05.2001 को सेवानिवृत्त हुए थे, जिनको पेन्शनर में उनके विवाहिता पत्नि अपीलांट संख्या एक श्रीमती कमलादेवी का नाम दर्ज है तथा आज भी उनकी पेन्शन कमलादेवी को पत्नि की हैसियत से प्राप्त हो रही है, मानने योग्य प्रतीत होता है, परन्तु उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को स्व. श्री रामगोपाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री कल्याण पुत्र श्री जयनारायण जाति गुर्जर निवासी बनास तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही से दिनांक 27.07.1994 को क्रय किया गया था एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की गई वादग्रस्त सम्पत्ति का वसीयतनामा स्व. श्री रामगोपाल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में दिनांक 01.01.2014 को करवाया गया था, जिसे उपपंजीयक जयपुर पंचक के द्वारा रजिस्टर्ड करवाया गया है। यह है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति स्व. श्री रामगोपाल द्वारा स्वअर्जित की हुई सम्पत्ति थी, जिसे किसी भी व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार स्व. श्री रामगोपाल को था एवं स्व. श्री रामगोपाल द्वारा ही उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में वसीयत किया हुआ है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यह है कि उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के अस्वित्व होते हुए उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner